रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 1975/पौष 27, 1896

No. 24] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 1975/PAUSA 27, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 17th January 1975

S.O. 36(E)/18FB/IDRA/75.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 34(E)/18FB/IDRA/73, dated the 19th January, 1973, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Containers and Closures Limited, Calcutta, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended upto the 18th January, 1974 and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended upto the 18th January, 1974;

And whereas the Central Government in the late Ministry of Industrial Development by Order No. 41(E)/IDRA/74, dated the 17th January, 1974, extended the duration of the said Order upto the 18th January, 1975;

And whereas the Central Government is satisfied that duration of the said Order should be extended for a further period of one year upto and inclusive of 18th January, 1976.

Now, threfore in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto the 18th January, 1976.

[No. F. 2/17/72-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1975

का० आ० 36(अ)/18चख/आई० डी० आर० ए०/75.—यतः उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 34 (ई)/18चख/आई डी आर ए/ 73—तारीख 19 जनवरी, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा घोषणा की थी कि उक्त आदेश के राजपत्र में जारी किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का (जो उनसे भिन्न हैं जो बकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित है) जिनका मेसर्स कन्टेनर्स एण्ड कलोजर्स लिमिटेड कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हो, प्रवर्तन 18 जनवरी, 1974 तक निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व तद्धीन प्रोदभूत या उदभत होने वाले सभी अधिकार, विशषाधिकार बाध्यताएं और दायित्व 18 जनवरी, 1974 तक निलम्बित रहेंगे ;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने, भतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 41 (ई)/ आई डी आर ए/ 74—तारीख 17 जनवरी, 1974 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 18 जनवरी, 1975 तक बढ़ा दी थी;

और यतः, केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि, 18 जनवरी, 1976 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष के लिए बढ़ाई जानी चाहिए।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 18 जनवरी, 1976 तक बढ़ाती है।

[सं० फा० 2/17/72-सी०यू०सी०],

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, NEW DELHI, 1975